न्यायालय जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी : नमित मेहता (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या : 19/2020 अपील

उनवान

1. देवा आत्मज गोकल गुर्जर निवासी थोरियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
2. नारू आत्मज गोकल गुर्जर निवासी थोरियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. भोजा आत्मज गोकल गुर्जर निवासी थोरियाखेडा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. नंदलाल आत्मज प्रभु लाल गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तह0 रायपुर जिला भीलवाडा
5. चांदी पत्नि प्रभु लाल गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

–अपीलार्थीगण

बनाम

1. प्रकाश आत्मज हीरालाल गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाडा
2. दिनेश आत्मज हीरालाल गुर्जर जरिये बविलायत पिता हीरालाल गुर्जर निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
3. मुकेश आत्मज हीरालाल गुर्जर नाबालिग जरिये बविलायत पिता हीरालाल गुर्जर, निवासी थोरियाखेड़ा तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, रायपुर जिला भीलवाडा (राज0)

–रेस्पोडेण्ट्स

अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध तहसीलदार, रायपुर बमामले नामान्तरकरण संख्या 195 निर्णय दिनांक 24.09.2019।

उपस्थित –

1. अधिवक्ता अपीलार्थी – श्री राकेश जैन।
2. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 3– श्री भैरूलाल बापना।

निर्णय

दिनांक :05.06.2024

1– अपीलार्थी की ओर से जरिये अधिवक्ता यह अपील अंतर्गत धारा–75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम थोरियाखेडा, पटवार क्षेत्र खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 557/389 रकबा 0.50 हेक्टेयर भूमि केशी पत्नि हीरा गुर्जर को आवंटित की गई थी, उक्त आवंटन में वैधानिक नियमों की कोई पालना नहीं की गई थी। केशी सद्भावी एवं भूमिहीन काश्तकार नहीं थी तथा वादग्रस्त भूमि भारहीन नहीं थी। केशी द्वारा आवंटन हेतु पात्रताधारी नहीं होते हुए भी राजस्व अधिकारी एवं कर्मचारियों से मिलाभगती करके आवंटन कमेटी को अंधेरे में रख विधि विरूद्ध उक्त भूमि आवंटन करवा लिया। उक्त विधि विरुद्ध किये गये आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थीगण ने केशी के विरूद्ध अपर जिला कलेक्टर, भीलवाडा के समक्ष 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया जो न्यायालय द्वारा अपास्त फरमा दिया गया था, जिसके विरूद्ध अपीलार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा के न्यायालय में अपील प्रस्तुत की जिसके प्रकरण संख्या

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

120/15 अ.रे. थे जो राज्य सरकार के आदेश से वर्तमान में सम्भागीय आयुक्त अजमेर को मुत्तवील कर दी गई, जो माननीय सम्भागीय आयुक्त, अजमेर के न्यायालय में जैर कार्यवाही है। उक्त आवंटन के संबंध में प्रकरण विचाराधीन है तथा तहसीलदार रायपुर स्वयं उक्त प्रकरण में पक्षकार है फिर भी प्रत्यर्थी संख्या–4 ने राजनैतिक व आर्थिक प्रभाव में आकर केशी के देहान्त के पश्चात नियमों के विपरीत केशी के बजाय इन्तकाल प्रत्यर्थी संख्या–1 से 3 के नाम पर बिना जांच पड़ताल किये खोल दिया गया। उक्त विवादित आराजी नम्बर 557/389 के आवंटन के संबंध में सम्भागीय आयुक्त, अजमेर में प्रकरण विचाराधीन होने एवं उक्त प्रकरण की तहसीलदार रायपुर को जानकारी होते हुए भी प्रत्यर्थी संख्या–4 ने प्रत्यर्थी प्रकाश वगैरह से मिलाभगती करके अवैध तौर से उक्त आराजी नंबर 557/389 को गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज करने बाबत् प्रश्नगत इन्तकाल खोल दिया गया है। प्रत्यर्थीगण दिनांक 07.08.2020 को उक्त विवादित भूमि पर आये एवं अपीलार्थीगण को धमकी ही कि वे अपना कब्जा हटा लेवें, हमने उक्त भूमि की खातेदारी भी करवा ली है, तब अपीलार्थीगण ने तहसील कार्यालय आकर जानकारी की तो उक्त इंतकाल की जानकारी हुई तब अपीलार्थीगण ने उक्त इंतकाल की नकल हेतु आवेदन किया जिस पर दिनांक 10.08.2020 को नकलें प्राप्त हुई, जिससे यह अपील मिलने जानकारी एवं मिलने नकल इंतकाल से अंदर अवधि में पेश है। अन्त में अंकित किया कि अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित इंतकाल संख्या 195 दिनांकित 24.09.2019 को अपास्त फरमाया जावें।

2– **बाद जांच प्रकरण दिनांक 17.09.2020 को दर्ज रजिस्टर किया** जाकर रेस्पोडेन्ट्स को नोटिस सम्मन मय नकल अपील मेमो जारी किये गये। रेस्पोडेन्ट संख्या–1 व 3 की ओर से अधिवक्ता श्री भैरूलाल बापना द्वारा अधिकार पत्र पेश किया जाकर दिनांक 15.06.2021 को जवाब पेश किया गया जिसकी नकल अपीलाण्ट अधिवक्ता को दिलवाई गई। रेस्पोडेन्ट संख्या–2 बावजूद पूर्व सूचना न्यायालय में अनुपस्थित रहे।

3– रेस्पोडेन्ट संख्या–1 व 3 द्वारा अपने जवाब में अंकन किया गया कि ग्राम थोरिया खेड़ा पटवार क्षेत्र खाखरमाला तहसील रायपुर में स्थित आराजी संख्या 557/389 रकबा 0.50 है. भूमि श्रीमती केशी पत्नी हीरालाल गुर्जर को विधिवत तौर से दिनांक 21.12.2010 को आवंटित की गयी थी। केशी भूमिहीन काश्तकार थी। केशी को किये गये उक्त आवंटन को अपास्त कराने के लिये अपीलार्थीगण ने अपर जिलाधीश, भीलवाड़ा के न्यायालय में नियम 14(4) आवंटन नियमों के तहत प्रार्थनापत्र पेश किया था, जिसे सही तौर से न्यायालय द्वारा गुणावगुण पर निरस्त कर दिया गया था। केशी की मृत्यु के बाद पूरी जांच पड़ताल की जाकर उक्त भूमि उसके वारिसान प्रत्यर्थीगण के नाम पर नामान्तरित की गयी है। आवंटी श्रीमती केशी व उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान प्रत्यर्थीगण ने उक्त आवंटित भूमि में निरंतर काश्त की है व आवंटन नियमों की पूरी पालना की है, जिससे अधीनस्थ अधिकारियों ने पूरी जांच पड़ताल करके उक्त भूमि में प्रत्यर्थीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं। गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जाने के आदेश के अनुक्रम में इसका नामान्तरकरण प्रत्यर्थीगण के नाम पर खोला गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं हुई है। जिस आदेश से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार दिये गये हैं वह आदेश यथावत चला आ रहा है, उसे कोई चुनौती अपीलार्थीगण ने नहीं दी है। अन्त में अंकित किया कि अपीलार्थीगण की यह अपील असत्य व आधारहीन होने से सव्यय निरस्त फरमायी जावें।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

4— **प्रकरण में अधिवक्ता अपीलार्थीगण एवं अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या–1 व 3 की बहस सुनी गयी।** अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम थोरियाखेडा, पटवार क्षेत्र खाखरमाला तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 557/389 रकबा 0.50 हेक्टेयर भूमि केशी पत्नि हीरा गुर्जर को विधि विरूद्ध आवंटित की गई थी तथा उक्त आवंटन को निरस्त कराने हेतु अपीलार्थीगण ने केशी के विरूद्ध अपर जिला कलेक्टर, भीलवाडा के समक्ष 14(4) कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन नियम, 1970 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो मा0 न्यायालय द्वारा अपास्त फरमा दिया गया था जिसकी अपील मा0 सम्भागीय आयुक्त, अजमेर में विचाराधीन होते हुए भी केशी के देहान्त के पश्चात् नियमों के विपरीत केशी के बजाय इन्तकाल प्रत्यर्थी संख्या–1 लगायत 3 के नाम पर बिना जांच पड़ताल किये खोल दिया गया। अन्त में निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रायपुर द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 195 दिनांकित 24.09.2019 विधि विरूद्ध होने से अपास्त फरमाया जावें।

5— प्रत्यर्थी संख्या–1 व 3 के अधिवक्ता ने दौराने बहस जवाब में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी केशी को हुए आवंटन के विरूद्ध प्रार्थना पत्र अंतर्गत नियम 14(4) मा0 न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, भीलवाड़ा में पेश किया था जो न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया था। उक्त निर्णय की अपील मा0 न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर में जैरकार है, किन्तु मा0 न्यायालय द्वारा कोई स्थगन जारी नहीं किया हुआ है। आवंटी श्रीमती केशी व उसकी मृत्यु के बाद उसके वारिसान प्रत्यर्थीगण ने उक्त आवंटित भूमि में निरंतर काश्त की है व आवंटन नियमों की पूरी पालना की है, जिससे अधिनस्थ अधिकारियों ने पूरी जांच पड़ताल करके उक्त भूमि में प्रत्यर्थीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये हैं। गैर खातेदारी से खातेदारी प्रदान किये जाने के आदेश के अनुक्रम में इसका नामान्तरकरण प्रत्यर्थीगण के नाम पर खोला गया है। इस प्रकार अपीलार्थीगण ने उक्त खातेदारी आदेश प्रदान किये जाने वाले आदेश को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं देकर आदेश की पालना में जारी नामान्तरकरण को गलत चुनौती दी है। अन्त में कथन किया कि अपीलार्थीगण की यह अपील असत्य व आधारहीन होने से सव्यय निरस्त फरमायी जावें।

6— सर्वप्रथम अपील मेमों में अपीलाण्ट/प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा–5 कानून मियाद अधिनियम के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया गया। प्रार्थी ने मियाद के समर्थन में शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक न्याय सिद्धान्त को दृष्टिगत रखा जाकर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये, अपील अपीलार्थी मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते हैं।

6— **मैने उभयपक्षों की बहस ध्यानपूर्वक सुनी, बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपान्त गंभीरतापूर्वक अवलोकन किया।** बाद अवलोकन एवं मनन यह पाया कि अपीलार्थीगण अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रायपुर के नामान्तरकरण संख्या 195 दिनांक 24.09.2019 के विरूद्ध यह अपील प्रकरण इस न्यायालय में लेकर आये है जिससे प्रश्नगत आराजियात को गैर खातेदारी से खातेदारी दर्ज रिकॉर्ड की गई है। इस संबंध में न्यायालय यह मत रखता है कि सर्वप्रथम तो प्रश्नगत नामान्तरकरण जिस आदेश से खोला गया है, वह आदेश किसी भी न्यायालय द्वारा खारिज किये जाने संबंधी प्रमाण पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं उक्त आदेश विधि विरूद्ध होना किसी भी न्यायालय द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। रेस्पोडेन्ट्स के अधिवक्ता द्वारा भी वक्त बहस बताया गया कि प्रत्यर्थीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी मिलने संबंधी आदेश को अपीलार्थीगण द्वारा सक्षम न्यायालय में चुनौती नहीं

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

दी गयी है। अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस यह उजर उठाया गया गया कि वादग्रस्त आराजियात के संबंध में प्रकरण मा0 न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर में जैरकार होने से उक्त नामान्तरकरण नहीं खोला जाना चाहिए था। इस संबंध में न्यायालय का यह मत है कि वादग्रस्त आराजियात के संबंध में मा0 न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर अथवा किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश जारी नहीं किया हुआ था एवं मात्र न्यायालय में प्रकरण जैरकार होने से किसी अन्य विभागीय कार्यवाही पर रोक नहीं मानी जा सकती है, जिससे अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रायपुर द्वारा खोला गया प्रश्नगत नामान्तरकरण प्रथमदृष्टया उचित है।

7— वादग्रस्त आराजियात केशी पत्नि हीरा गुर्जर को वर्ष 2010 को आवंटित की गई थी एवं उक्त आवंटन को किसी भी न्यायालय द्वारा आज दिनांक तक अपास्त किये जाने संबंधी कोई भी प्रमाण अथवा तथ्य न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है एवं ना ही अपीलार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा उक्त आवंटन किसी भी न्यायालय द्वारा निरस्त किये जाने संबंधी कोई कथन या तर्क न्यायालय के सामने प्रस्तुत किये है। अपितु अपीलार्थीगण के अधिवक्ता ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि प्रश्नगत जायदाद का आवंटन निरस्त कराने हेतु न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, भीलवाड़ा में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, न्यायालय द्वारा पूर्व में खारिज किया गया है। आवंटी की मृत्यु उपरान्त उसके वारिसान के नाम पर विरासत से इन्तकाल, नामान्तरकरण संख्या 170 दिनांक 10.03.2017 से खोला गया तथा नामान्तरकरण संख्या 195 दिनांक 24.09.2019 से वादग्रस्त भूमि में प्रत्यर्थीगण को गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये है। जिस आदेश से गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार प्रत्यर्थीगण को प्राप्त हुए है, वह आदेश यथावत चला आ रहा है, जिसे अपीलार्थीगण द्वारा कोई चुनौती सक्षम न्यायालय में नहीं दी गई है। ऐसी परिस्थिति में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोला गया प्रश्नगत नामान्तरकरण प्रथमदृष्टया उचित है।

उपरोक्त सम्पूर्ण विवेचन अनुसार अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज योग्य है। अतएव—

आदेश

अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत अपील विरूद्ध तहसीलदार रायपुर जिला भीलवाड़ा सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार, रायपुर जिला भीलवाड़ा द्वारा पारित नामान्तरकरण संख्या 195 दिनांक 24.09.2019 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति पालनार्थ मय अधीनस्थ न्यायालय का तलबिदा रिकॉर्ड तहसीलदार, रायपुर जिला भीलवाड़ा को प्रेषित की जावें।

निर्णय आज दिनांक05.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

(नमित मेहता)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर
भीलवाड़ा